दिनांक 23/07/2021

पत्रावली मुंसरिम आख्या के साथ पेश हुयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली मूल वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र 11ग2 मय शपथ पत्र 12ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सूची 12ग1 दाखिल प्रपत्रों का मय पत्रावली सम्यक अवलोकन किया। वादी ने यह वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु योजित किया है।

प्रथम दृष्टया मामले के तथ्यों एवम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र 11ग2 पर सुनवायी का सम्यक अवसर दिये हुये एक पक्षीय रूप से वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का व्यादेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित हो। वाद वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 11ग2 दिनांक 17/08/2021 व जवाबदावा/तनकीह हेतु दिनाँक 24/08/2021 को पेश हो। वादी पैरवी करे।

सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर
कानपुर देहात।